तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/9/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... / P.O. ... पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/12/25 को पेश हो।	
18/12/25	वास्ते जवाब 29/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
29/12/25	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण प्रा.प. पेश / न्यायिक ... रखा / P.O. अप्रा.पक्ष. उपस्थित मीटिंग / अवकाश में / पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 26/2/26 को पेश हो।	
26/2/26	पत्रावली पेश। वकील प.क्ष. उप. वास्ते जवाब प्रा.प. 9/3/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
9/3/26	पत्रा. पेश। वास्ते जवाब 30/3/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
30/3/26	पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उप. प्रतिवादी हाजिर उप. जवाब प्रा.प. पेश नहीं किया है। पत्रा. बन्द किया जाकर हो पत्रा. वास्ते बहस प्रा.प. 27/4/26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
27/4/26	पत्रा. पेश। जवाब प्रतिवादी 1 व 2 मूलवाद के साथ संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादी का कथन है कि प्रति. 1 उसकी आराजी खसरा न. 142 में से रास्ता कायम कर रहे है। अत: इनके खिलाफ वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाए। प्रति 1 व 2 का कथन है कि वह रास्ता खसरा 143 गैर मुमकिन रास्ता से कायम कर रहे है जो वादी की आराजी की पश्चिम दिशा में है। खसरा 142 पर वादी का ही कब्जा व इस खसरे से कोई रास्ता नही निकल रहा है। TOR रिपोर्ट के अनुसार खसरा 142 के चारो ओर तारबंदी की गई है। जवाब प्रतिवादी 1 व 2 से यह साबित होता है कि वह वादी की ज़मीन से रास्ता कायम नही कर रहे है। अत: वादी की आराजी सुरक्षित है व उसी के कब्जे में है। अत: उक्त वाद में प्रथम-दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति की सम्भावना व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नही जाता है। अत: वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Che 27/4/26 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	